

—: विज्ञप्ति :-

शासन के पत्र संख्या 09 चार-L/XXXVI(1)/2018-7 चार-L/ 2009 दिनांक 03 अगस्त, 2018 के अनुपालन में जनपद नैनीताल में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रिक्त पद पर आबद्धता हेतु विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर-7.03 के अन्तर्गत आबद्धता हेतु अधोलिखित योग्यतायें रखने वाले अधिवक्ताओं से **विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ.) पद पर अधिवक्ताओं को नियुक्त नहीं किया जायेगा अपितु राज्य सरकार द्वारा आबद्ध किया जायेगा और यह आबद्धता व्यावसायिक आबद्धता होगी, जो राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। आबद्ध अधिवक्ता को न्याय विभाग के शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार प्रतिदिन की दर से फीस देय होगी :-

शैक्षिक योग्यता एवं अनुभाग जो अनिवार्य है :-


- 1- आवेदक का नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- स्थायी पता
- 4- शैक्षिक योग्यतायें
- 5- जन्म तिथि
- 6- अधिवक्ता/एडवोकेट बनने की तिथि
- 7- विधि व्यवसाय में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि कुल कर्तकाल (7 वर्ष से कम न हो)
- 8- पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर संबंधित सूचना यदि कोई हो
- 9- हिन्दी भाषा का ज्ञान
- 10- विगत दो वर्षों का सम्बन्धित न्यायालयों, जहाँ आवेदक ने विधि सम्बन्धी कार्य किया हो, का सत्यापित विवरण मय आवेदक द्वारा किये गये कुल मामलों की संख्या एवं उनमें सफलता का प्रतिशत। साथ ही फौजदारी मामलों की कुल संख्या एवं उनमें सफलता का प्रतिशत
- 11- यदि कोई अधिवक्ता अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ी जाति का हो, तो कृपया तदनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

विशेष :-

यदि कोई आवेदक कोई दूसरा पद अथवा सरकारी वकील विधि कॉलेज में पूर्णकालिक विधि प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी, एमिक्स क्यूरी आदि पद धारित करते हों, तो उन्हें आवेदित पद पर नियुक्त होने की दशा में **उक्त पद या सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा।**

यदि कोई आवेदक किसी राजनीतिक दल का सदस्य या पदाधिकारी हो तो अपने आवेदन पत्र में आवेदित पद पर नियुक्ति होने की दशा में **उक्त पद या सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा।**


इच्छुक अभ्यर्थी **प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियों एवं विगत दो वर्षों का विधि सम्बन्धी कार्य विवरण की सत्यापित प्रति के साथ** विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिन के अन्तर्गत इस कार्यालय में अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। समीप के जिलों के इच्छुक विधि व्यवसायी भी अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से आवेदन-पत्र प्रेषित कर सकते हैं।


30.08/18
(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी, नैनीताल

संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- नोटिस बोर्ड, जिला कार्यालय, नैनीताल/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल/आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/मुन्फि मजिस्ट्रेट, नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर/धारी।
- 2- नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद नैनीताल।
- 3- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर।
- 4- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर/बागेश्वर/चम्पावत।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।


30.08/18
जिलाधिकारी,
नैनीताल